रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2008/भाद्र 11, 1930
No. 1249] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2008/BHADRA 11, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

सं. 36 (आरई-2008)/2004—2009

का.आ. 2149(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. "व्यापार से संबंधित मामलों के लिए कानूनी खर्च को पूरा करने" के संबंध में पैराग्राफ 3.2.1.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :—

"वाणिज्य विभाग व्यापार से संबंधित मामलों के लिए कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की सिफारिश सुपात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तथापि वित्तीय सहायता वाणिज्य विभाग की बाजार पहुँच पहल (एम.ए.आई.) स्कीम के तहत यथा उपलब्ध पंजीकरण प्रभार, एन्टी डम्पिंग और काउन्टरवेलिंग मामलों में मुकद्मेबाजी जैसे कानूनी अनुपालन तक सीमित होगी।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/553/एएम 09/पीसी-3]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2008

No. 36 (RE-2008)/2004—2009

S.O. 2149(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 (as amended from time to time), the Central Government hereby makes the following amendment in Foreign Trade Policy :—

1. The Paragraph 3.2.1.1 regarding 'Meeting Legal Expenses for Trade Related Matters' is replaced as under :—

"DOC would provide financial assistance to deserving exporters on recommendation of EPCs for meeting cost of legal expenses for trade related matters. However, financial assistance would be restricted to statutory compliances such as registration charges, litigation in anti-dumping and countervailing cases, etc. as provided under the Market Access Initiative (MAI) Scheme of DOC."

This issues in Public Interest.

[F. No. 01/91/180/553/AM 09/PC-3]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

3294 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.